

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

प्रेस नोट

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/31/2017

दिनांक: 1 अप्रैल, 2017

विषय: मध्य प्रदेश के 9-अटेर और 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय।

मध्य प्रदेश में 9-अटेर और 89- बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संबंध में इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन और अधिकारियों की पूर्ण तटस्थता सुनिश्चित करने की मांग की।

आयोग ने मध्य प्रदेश में उप-निर्वाचनों के पर्यवेक्षण के लिए श्री भंवर लाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश (मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी) के नेतृत्व में उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। श्री आर.के.श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान सचिव और श्री वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव भी टीम में शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की ये टीम निर्वाचनों के संचालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के सभी प्रशासनिक एवं सुरक्षा अनुदेशों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी।

दोनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगाई गई ईवीएमों और वीवीपीएटी की सही कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ आयोग के अधिकारियों की दो टीमें तैनात करने का भी निर्णय लिया है।

टीमों द्वारा सभी हितधारकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए मतदान में लाई जाने वाली ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रामाणिकता को प्रदर्शित किया जाएगा। ये टीमें मतगणना समाप्त होने तक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगी।

आयोग सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सम्माननीय मतदाताओं सहित समस्त हितधारकों की पूर्ण संतुष्टि स्वरूप संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हितधारकों से वास्तविक और विश्वसनीय सुझावों को सदैव सुनेगा और त्रुटियों का निराकरण करेगा।

धीरेन्द्र ओझा
(निदेशक)